न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 55/2025
जीसीएमएस नम्बर 2025/112

निर्णय दिनांक 18/02/2026

भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू।

—वादीनी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एंव धारा 136 एलआरए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करती है कि वादीनी का खरीदशुदा खातेदारी खेत खसरा नं. 40 कुल तादादी 7.0700 हैक्टेयर रोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। उपरोक्त खसरा भूमि की खातेदारी वादीनी के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा कि भूमि वादिनी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1981 को श्रीमति गीता देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण जोशि निवासी श्रीडूंगरगढ से खरीद की थी। जोकि उपपंजीयन कार्यलय श्रीडूंगरगढ मैं पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 61 पेज संख्या 248 से 249 क्रमं संख्या 362 पर पंजीबद है। उक्त विक्रयपत्र करवाते समय पहचान पत्र अधिक प्रचलित नही होने के कारण बोल चाल की भाषा में मेरा नाम भंवरी देवी पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू अंकित कर दिया गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम भंवर कंवर है न कि भंवरीदेवी है। राजपूत समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार महिलायें अपने नाम के आगे कंवर शब्द का उदबोधन करती है। वादीनी अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की महिला है। तात्कालिन समय मे जब सरकार द्वारा पहचान पत्र के सम्बंध में अनेक दस्तावेज बनना शुरू हुये तब वादीनी ने भी सरकारी दस्तावेज बाबत पहचान पत्र समय समय पर बनवाये। वादिनी के सरकारी दस्तावेज यथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड बने तो उसमें वादीनी का नाम भंवर कंवर अंकित हुआ है। जोकि आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। यानि वादीनी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम भंवर कंवर है न कि भंवरदेवी है। वादीनी ने जब उपरोक्त खसरान की भूमि की जमांबदी बैंक से केसीसी ऋण ले हेतू लेने के लिए आदि की नकले दिनांक 01.04.2025 को निकलवाई तो वादीनी को जानकारी हुई कि उनके खरीद शुदा खातेदारी के खेत खसरा नं. 40 वाकेरोही पुन्दलसर के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम गलत रूप से भंवरीदेवी पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत अंकित कर रखा है। जबकि वादीनी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही भंवर कँवर है दर्ज नाम भंवरीदेवी जोकि गलत है। जिसको वादीनी राजस्व रिकार्ड में सही रूप से घोषित करवाने की अधिकारी है। वादीनी का शुरू से ही नाम भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम गलत भंवरी देवी अंकित चला आ रहा है। वादीनी के अन्य तमाम दस्तावेजों में वादीनी का सही नाम भंवर कंवर अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तत की जा रही है । वर्णित खेत खसरानं. 40 रोही पुन्दलसर में भंवर देवी पत्नी जुगलसिंह निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू दर्ज है। जिसमें वादीनी का सम्पूर्ण हिस्सा निहित है। जिस पर वादीनी का उक्त हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादीनी उक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम भंवर कंवर पत्नी जुगलसिह अंकित करवाने का कानूनी अधिकारी है। उपरोक्त भूमि में वादीनी का गलत नाम व पता अंकित होने के कारण वादीनी को उक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी.बनाने, ट्यूबवेल बनाने, विक्रय, हस्तान्तरण करने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादीनी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है। वादीनी के खेत में वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादीनी ने कई बार मौके व लिखित निवेदन प्रतिवादी से किया कि मेरा नाम भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू है रिकॉर्ड में मेरा नाम भंवरी देवी पत्नी जुगलसिंह जाति गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू अंकित कर दिया है। तमाम दस्तावेजात में मेरा सही नाम भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादिनी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की घोषणा करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादिनी के नाम की राजस्व रिकार्ड में घोषणा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादिनी के पास अपने सही नाम व पते की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतिवादी की इन्कारी की दिनांक से वादिनी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादिनी की खरीद शुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है । दावा घोषणात्मक है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादिनी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेतों में वादी का नाम अंकित होने से वादिनी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर अपने नाम की घोषणा करवाई जानी आवश्यक हो गई है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेतों में वादिनी का नाम व पता परिवर्तन होने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वादगत खेत रोही मौजा पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयवधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नं. 40 कुल तादादी 7.0700 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम भंवरी देवी पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादिनी का सही नाम भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू घोषित किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादिनी की ओर से साक्ष्यवादी में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रर्दश करवाये गये। वादिनी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 40 तादादी 7.0700 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम 'भंवरी देवी पत्नी जुगलसिंह' के स्थान पर 'भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह' घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह जाति राजपूत निवासी गांगियासर तहसील व जिला झुंझूनू।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 55/2025

दावा बाबतः खाता घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 18/02/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 40 तादादी 7.0700 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम 'भंवरी देवी पत्नी जुगलसिंह' के स्थान पर 'भंवर कंवर पत्नी जुगलसिंह' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 02 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested